न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/06/2025 रजू दिनांकः 04.03.2025 रजि0 न0 2025/46

अपीलार्थीः—

श्री सुरेन्द्र आर्य पुत्र श्री यशपाल आर्य, निवासी 30/228 मोहम्मद चकला गूंदीमालाखेड़ा बाजार, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 28.04.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन RTI पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 21.09.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र दिनांक 17.01.2025 न्यायालय को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 04.03.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त। पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रत्यर्थी के जवाब के अभाव में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाइ गई है। अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना से उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से जरिये पंजीकृत पत्र के माध्यम से अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सोमेश डागुर)
अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)

राजस्थान सरकार
कार्या0 अति0 जि0 कले0 एवं अति0 जि0 मजि0 प्रशासन (द्वितीय) अलवर